26.7.2022

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित।
बहस प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 व आदेश 1 नियम
10 सपठित धारा 151 CPC की सुनी गई। वास्ते
आदेश पत्रावली दिनांक 8.8.2022 को पेश हो।

ह०/-
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

8.8.2022

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० हो।
बहस प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 व आदेश 1
नियम 10 सपठित धारा 151 CPC पर गौर किया।
प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली
का परीक्षण किया गया तो प्रार्थी श्री हरिनारायण
का स्वर्गवास दिनांक 14.2.2022 को हो गया है
जिसके वारिसान को व पायल (पड़पौत्री) को कायम
मुकाम बनाने व दावे में पक्षकार बनाने का पेश
हुआ है जिस बाबत मूल दावा व प्रार्थना पत्र 9 नियम 13
में मृतक हरिनारायण के वारिसान पूर्व से ही रिकार्ड पर
है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर्ता कुमारी पायल पुत्री
राजू की है जो मृतक हरिनारायण की पौत्री है।
इस प्रकार मृतक हरिनारायण के वारिसान पूर्व से ही
दावा एवं प्रार्थना पत्र 9 नियम 13 में कायम
मुकाम बनाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर्ती को मृतक हरिनारायण की
पौत्री है। पिता के मौजूद रहते हुए दावे व प्रार्थना पत्र
9 नियम 13 में कायम मुकाम बनाये जाने व रिकार्ड
पर पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि
हरिनारायण के वारिसान पूर्व से ही रिकार्ड में है ऐसी स्थिति
में प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 व 1 नियम 10 का
खारिज किया जाना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र
9 नियम 13 के प्रस्तुत कर्ता हरिनारायण का स्वर्गवास
हो चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र 9 नियम 13 को भी
खारिज करना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र
22 नियम 3 व 1 नियम 10 आदेश सपठित धारा
151 CPC का [illegible] किया जाता है। पत्रावली
[illegible] प्रार्थना पत्र 9-13
खारिज [illegible] 17.6.2020 का
प्रमाणित [illegible]

ह०/-
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:39:31 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner